2025/362

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... बयाना.......................
मनोहरी .... बनाम .... रजनीकान्त वगै......................

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट .... नं.................. सन् 165/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
14/07/25	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा मूल अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम चक बिडयारी तहसील बयाना में प्रार्थी को काश्त करने से नहीं रोकें। बेदखल नहीं करें। कृषि भूमि पर लगे डीप बोर पर अवैध कब्जा नहीं करें। बोई फसल को नष्ट नहीं करें। उपयोग– उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। हमने एड. प्रार्थी को सुना। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन करने पर अप्रार्थीगण के विरूध्द अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.09.2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम चक बिडयारी तहसील बयाना में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन आदेश का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को जरिये साधारण/~~रजिस्टर्ड~~ डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12.09.2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज.	
29/8/25	प्रकरण आज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तारीख पेशी से पूर्व तलब किया गया प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर	

मनोहर

मैं वादी मनोहर को पहचान करता हूँ

मनोज

जाहिर किया कि हम पक्षकारान मध्य राजीनामा हो चुका है इस प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जावे। प्रार्थी की पहचान श्री मनोज पटेल द्वारा की गई।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से मय हो बाद - तामील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)